भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 3158
19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड निधि में वृद्धि

3158. **श्री दरोगा प्रसाद सरोजः**

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विधान सभा सदस्यों (एमएलए) को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि संसद सदस्यों (एमपी) को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि से अधिक है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सांसदों के लिए उक्त धनराशि को बढ़ाने का विचार है ताकि देश में सांसदों और विधायकों को बराबर उक्त धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा सके;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का सांसदों को उपलब्ध कराई गई विकास निधि के अलावा किसी अन्य बजटीय शीर्ष में कोई अन्य निधि उपलब्ध कराने का विचार है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार का एमपीलैड के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि पर जीएसटी से छूट देने का विचार है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) एक सांसद (एमपी) को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि मिलती है।

विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडीएस) के सदस्यों की वार्षिक पात्रता राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है और यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(ख) और (ग) मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा में विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए निधियों की पात्रता में संशोधन के सुझावों को शामिल करते हुए हितधारकों से नए सुझावों को नियमित आधार पर प्राप्त करता हैं और उनकी जांच करता है।

(घ) और (ङ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए निधि का उपयोग लागू जीएसटी दरों के अनुसार कर योग्य है। जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संविधिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में एमपीलैड निधि के उपयोग पर कोई छूट देने के लिए जीएसटी परिषद के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।